



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1419/36 सं०
सेवा में,

दिनांक 21/11/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में लोल्टी कस्बीनगर मोटर मार्ग के विस्तार के निर्माण हेतु 0.188 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No.FP/UK/ROD/32572/2018)

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक 6303/12-1 दिनांक गोपेश्वर मई 17/2024
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण हेतु इस खण्ड को वापस लौटाया गया था जिसके अनुपालन में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र सं० 1152/36 सी० दिनांक 27.07.2024 को अपलोड कर पत्र प्रेषित कर दिया गया था।
अतः निम्नलिखित आपत्तियों का पुनः निराकरण का बिन्दुवार निम्नवत है-

क्रम सं०	प्रस्ताव में कमिया	निराकरण
1	भारत-सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा प्रस्ताव में प्रारम्भ लगभग 1 किमी० लम्बाई में मार्ग पूर्व से निर्मित दिखाई दे रही है यदि इसमें कोई उल्लंघन हुआ है तो उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाये, के सम्बन्ध में आप द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव के 01 किमी० लम्बाई में वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जबकि प्रस्तावित संरक्षण का लगभग 1 किमी० लम्बाई में निर्मित मार्ग गूगल अर्थ में दिखाई दे रहा है, जो वन विभाग द्वारा बिना किसी स्वीकृति के निर्मित होना प्रतीत हो रहा है। इस सम्बन्ध में आप अपनी स्पष्ट आख्या एवं अभिलेख उपलब्ध कराये।	अवगत कराना है कि स्वीकृत मार्ग की लम्बाई 2 किमी० है। जिसमें प्रथम किमी० पूर्णतः नाप भूमि में है। इस सत्यापन वन भूमि प्रस्ताव के लैण्ड शेड्यूल/बार चार्ट से भी किया जा सकता है। जिसको वर्ष 2018 में काटा गया है, गूगल मैप की हिस्ट्री से भी मिलान किया जा सकता है। जिस कारण यह गूगल अर्थ में निर्मित मार्ग दिखाई दे रहा है। दूसरे किमी० में कुछ भाग में वन भूमि होने के कारण प्रस्ताव गठित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार से वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
2	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा मात्र 0.188 हे० क्षेत्र में 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिनमें अधिकतम ओक प्रजाति के हैं। के०एम०एल० फाईल पर दर्शित जानकारी के अनुसार इन वृक्षों को बचा कर भी संरक्षण बनाया जा सकता है। के सम्बन्ध में आप द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग पर वर्तमान में पुनः संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त केवल 40 वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं संरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है उक्त संरक्षण ही उपयुक्त है। जो भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के द्वारा चाही गयी सूचना के अनुरूप सही नहीं है। बिन्दु सं० 2 में आप द्वारा प्रस्तावित संरक्षण में आ रहे वृक्षों को बचाकर भी मोटर मार्ग का निर्माण किया जा सकता है के सम्बन्ध में कोई सुस्पष्ट आख्या नहीं दी गयी है, वृक्षों को बचाकर भी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु	किमी० 02 में मार्ग का अधिकांश भाग नाप भूमि से होकर गुजर रहा है। नाप भूमि पूर्व में स्वीकृत संरक्षण के अतिरिक्त किसी भी अन्य संरक्षण ग्राम वासियों की सहमति नहीं है। वृक्षों की सं० में कमी आने का कारण वृक्षों का सूख जाना अथवा आपदा में गिर जाना आदि हो सकता है। मार्ग के पूर्व में स्वीकृत संरक्षण पर ही सीमांकन किया गया। संरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मार्ग के संरक्षण में बांज के वृक्षों को बचाने के लिए संरक्षण में परिवर्तन आवश्यक था परन्तु समस्त ग्राम वासियों द्वारा स्वीकृत संरक्षण के अलावा किसी अन्य संरक्षण पर सहमति नहीं

संरक्षण बनाया जा सकता है के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण टिप्पणी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ यह भी अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं०2847/ दिनांक 16.06.2021 से वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को उक्त प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देश दिये गये जिसके क्रम में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के द्वारा पूर्व में स्थलीय निरीक्षण किया गया है जिसमें उनके द्वारा संरक्षण में आ रहे बांज वृक्षों को बचाकर मार्ग के निर्माण किये जाने हेतु कहा गया है, परन्तु संरक्षण को परिवर्तन किये बगैर जिसमें बांज वृक्षों का बचाया जा सके या बिना औचित्य पूर्ण आख्या के ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है एवं पूर्व में 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं पुनः संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त केवल 40 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि संरक्षण में बदलाव किया गया है। चयनित संरक्षण जिसमें आर०सी०सी० पिलरों से सीमांकन किया गया है के जी०पी०एस० कोडिनेट इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि पूर्व संरक्षण का मिलान करने पर स्पष्ट हो कि आपके द्वारा संरक्षण में बदलाव किया गया है या नहीं।	दी गयी है।
---	-------------------

अधिशारी अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
थराली चमोली

पत्रांक 1869/36 सी० दिनांकित 21/11 /
प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता नि०ख०, लो०नि०वि० थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रतिलिपि:- खण्डीय अमीन/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशारी अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
थराली चमोली